

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संख्या-3/विविध-01-03/2015-

/स्वा०, पटना, दिनांक : / / 2020

विभागीय आदेश सं० 240(3) दिनांक 13.03.20, 289(3) दिनांक 05.04.20, 327(3) दिनांक 30.04.20 एवं 394(3) दिनांक 01.06.20 के द्वारा कोरोना वायरस से उत्पन्न संक्रमण के रोक-थाम एवं इसके निरोधात्मक उपाय हेतु विशेष चौकसी एवं अनुश्रवण की आवश्यकता को देखते हुए राज्य के सभी चिकित्सा पदाधिकारियों, संविदा नियोजित सहित, (चिकित्सा पदाधिकारी से लेकर निदेशक प्रमुख तक, प्राचार्य/अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से लेकर जूनियर रेजिडेंट तक एवं निदेशक, विशिष्ट चिकित्सा संस्थान) तथा राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों, संविदा नियोजित सहित, (यथा स्वास्थ्य प्रशिक्षक, पारा मेडिकल्स, जी०एन०एम०, ए०एन०एम, शल्य कक्ष सहायक, लैब टेक्नीशियन, सभी चतुर्थ कर्मी इत्यादि) का सभी प्रकार के अवकाश (अध्ययन अवकाश एवं मातृत्व अवकाश को छोड़कर) को 30.06.2020 तक रद्द किया गया था । महामारी पर सम्यक नियंत्रण के उद्देश्य से पुनः यथा वर्णित आदेश को दिनांक 30.08.2020 तक विस्तारित किया जाता है ।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह०/-

(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: 3/विविध-01-03/2015-491(3) /स्वा०, पटना, दिनांक : 2/7/2020
प्रतिलिपि: सचिव स्वास्थ्य-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना/ कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना /सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, बिहार/सभी निदेशक, विशिष्ट चिकित्सा संस्थान, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव